



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082020-221079
CG-DL-E-11082020-221079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2399]
No. 2399]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SHRAVANA 20, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020
सं. 26/2015-2020

विषय:— आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29, 38 और 39 के अंतर्गत आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ.(अ.) 2705—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) की आयात नीतिगत शर्तों को संशोधित करती है:—

क्रम सं.	एक्जिम कोड	मद वर्णन	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
1	2903 14 00	कार्बन टेट्राक्लोराईड (सीसीएल 4-टेट्राक्लोरोमिथेन)	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है

2	2903 71 00	क्लोरोईडफ्लोरो मिथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
3	2903 72 00	डाईक्लोरोट्राइफ्लोरो इथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
4	2903 73 00	डाईक्लोरोफ्लोरो इथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-I और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 और इसके संशोधनों के अनुसार फीडस्टॉक अनुप्रयोगों को छोड़कर एचसीएफसी-141ख का आयात निषिद्ध है।
5	2903 74 00	डाईक्लोरोट्राइफ्लोरो इथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
6	2903 75 00	डाईक्लोरोपेंटाफ्लोरो प्रोपेन्स	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
7	2903 76 10	बोमोक्लोरोडारफ्लोरोमिथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
8	2903 76 20	ब्रोमोट्राइफ्लोरोमिथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
9	2903 76 30	डाईब्रोमोटेट्राफ्लोरोइथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
10	2903 77 11	क्लोरोट्राइफ्लोरो मिथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
11	2903 77 12	डाईक्लोरोडाईफ्लोरो मिथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
12	2903 77 13	ट्राइक्लोरोफ्लोरो मिथेन	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-1 और नीतिगत शर्त 4 के अनुसार आयात अनुमत है
13	3808 91 22	मिथाइल ब्रोमाइड	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-3 और नीतिगत शर्त 5 के अनुसार आयात अनुमत है

14	3824 73 00	जिसमें हाइड्रोब्रोमोपलोरोकार्बन (एचबीएफसी हो)	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-3 और नीतिगत शर्त 5 के अनुसार आयात अनुमत है
15	3824 76 00	जिसमें 1,1,1-ट्राईक्लोराइथेन (मिथाईल क्लोरोफार्म हो)	नीतिगत शर्त-I के अनुसार आयात अनुमत है	नीतिगत शर्त-3 और नीतिगत शर्त 5 के अनुसार आयात अनुमत है
16	3907 20 10	पाली (ईथर एल्कोहल)		एचसीएफसी-141बी सहित समूह-VI पदार्थों वाले प्री-ब्लेंडिड पालीआल का आयात ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधन नियम 2014 के अनुसार अनुमत नहीं है।
17	3907 20 90	अन्य		
18	3907 99 90	अन्य		

2. आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-29 और 38 में एक नई आयात नीतिगत शर्त को क्रमशः शर्त 4 और 5 के रूप में जोड़ा जाता है:

आयातक प्रत्येक आयात खेप हेतु 30 दिनों के अंदर ओजोन प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रविष्टि बिल की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

3. **अधिसूचना का प्रभाव:** अधिसूचना आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 29,38 और 39 में विभिन्न रसायनों के आयात हेतु नीतिगत शर्तों की संशोधित करती है।

क. क्रम सं. 1 से 15 पर विनिर्दिष्ट रसायनों के आयातक को 30 दिनों के अंदर ओजोन प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रविष्टि बिल की एक प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ख. क्रम सं. 4 हेतु एचसीएफसी-141बी का आयात फीडस्टॉक अनुप्रयोग को छोड़कर निषिद्ध है।

ग. क्रम सं. 16 से 18 हेतु एचसीएफसी-141 वी सहित समूह VI पदार्थ वाले प्री-ब्लेंडिड पालीऑल का आयात ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधन नियम 2014 के अनुसार अनुमत नहीं है।

यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं 01/89/180/49/एएम-10/पीसी-2क/ई-1671]

अमित यादव

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION
New Delhi, the 11th August, 2020
No. 26 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy conditions under Chapters 29, 38 and 39 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 2705(E)—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy conditions of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.No.	Exim Code	Item Description	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
1	2903 14 00	Carbon tetrachloride (CCl ₄ – Tetrachloromethane)	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
2	2903 71 00	Chlorodifluoromethane	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
3	2903 72 00	Dichlorotrifluoroethanes	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
4	2903 73 00	Dichlorofluoroethanes	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4. Import of HCFC-141b is prohibited except for feedstock application as per Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.
5	2903 74 00	Chlorodifluoroethanes	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
6	2903 75 00	Dichloropentafluoropropanes	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.

7	2903 76 10	Bromochlorodifluoromethane	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
8	2903 76 20	Bromotrifluoromethane	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
9	2903 76 30	Dibromotetrafluoroethanes	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
10	2903 77 11	Chlorotrifluoromethane	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
11	2903 77 12	Dichlorodifluoromethane	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
12	2903 77 13	Trichlorofluoromethane	Import permitted as per Policy Condition 1.	Import permitted as per Policy Condition 1 and Policy Condition 4.
13	3808 91 22	Methyl bromide	Import permitted as per Policy Condition 3.	Import permitted as per Policy Condition 3 and Policy Condition 5.
14	3824 73 00	Containing Hydrobromofluorocarbons (HBFCs)	Import permitted as per Policy Condition 3.	Import permitted as per Policy Condition 3 and Policy Condition 5.
15	3824 76 00	Containing 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)	Import permitted as per Policy Condition 3.	Import permitted as per Policy Condition 3 and Policy Condition 5.
16	3907 20 10	Poly (ether alcohols)		Import of pre-blended polyol containing Group VI substances, including HCFC-141b, is not permitted as per Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014.
17	3907 20 90	Other		
18	3907 99 90	Other		

2. A new import Policy Condition is added in Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) as Policy Condition 4 and 5 respectively:

The Importer shall, for, each import consignment, submit a copy of the Bill of Entry within 30 days to the Ozone Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.

3. Effect of the Notification: The notification amends the policy conditions for imports of various chemicals in Chapters 29, 38 and 39 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

- a. Importers of chemicals specified at S. Nos. 1 to 15 needs to submit a copy of the Bill of Entry within 30 days to the Ozone Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.
- b. For S. No. 4, Import of HCFC-141b is prohibited except for feedstock application.
- c. For S. Nos. 16 to 18, Import of pre-blended polyol containing Group VI substances, including HCFC-141B, is not permitted as per Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/49/AM-10/PC-2A/E-1671]
AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &
Ex- officio Addl. Secy.